दिनांक–23.03.2018 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के भूमि के हस्तांतरण एवं निगम की देयता से संबंधित बैठक की कार्यवाही :–

1. सचिव परिवहन विभाग द्वारा बताया गया कि पटना शहर में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की परिसम्पत्तियां तीन जगहों पर, बांकीपुर में निगम बस डिपो, सुलतान पैलेस में निगम मुख्यालय एवं फुलवारीशरीफ मे केन्द्रीय कर्मशाला अवस्थित हैं। सुलतान पैलेस को पर्यटन विभाग को हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनापत्ति पत्र संख्या–1430, दिनांक–18.05.2016 के माध्यम से दी गयी है। पर्यटन विभाग द्वारा सुलतान पैलेस को हेरिटेज होटल में विकसित करने के लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजर के चयन हेतु प्राप्त निविदा पर कार्रवाई किये जाने की सूचना दी गई है। बांकीपुर बस डिपो के संबंध में निगम द्वारा पटना स्मार्ट सिटी के लिए MOU दिनांक–10.03.2017 को हस्ताक्षरित किया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि बांकीपुर को स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत नहीं रखा जाय एवं उनके द्वारा बताया गया कि बांकीपुर बस डिपो की जमीन को पर्यटन विभाग को हस्तानान्तरित कराने हेतु नियमानुसार प्रस्ताव लाने का सुझाव पूर्व में ही दिया जा चुका है उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में नगर विकास विभाग, प्रमंडलीय आयुक्त, पटना सचिव पर्यटन एवं सचिव, परिवहन विभाग शीघ्र कार्रवाई करे।

2. प्रशासन मुख्य, BSRTC द्वारा बताया गया कि फुलवारीशरीफ केन्द्रीय कर्मशाला में पूर्व में फुलवारी शरीफ जेल हेतु 5.79 एकड़ भूमि दी गयी थी एवं वर्त्तमान में नापी के अनुसार 23.28 एकड जमीन पर निगम का केन्द्रीय कर्मशाला, केन्द्रीय भंडार एवं आवसीय क्वाटर अवस्थित है। बांकीपुर एवं सुलतान पैलेस की जमीन के हस्तान्तरण होने पर परिवहन निगम का मुख्यालय, बस डिपो कार्यालय, निगम का क्षेत्रीय कार्यालय के फुलवारीशरीफ परिसर में विकसित किया जाना आवश्यक होगा, साथ ही फुलवारीशरीफ परिसर में जिला परिवहन कार्यालय एवं ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्र का भी निर्माण किया जा सकता है। CNG स्टेशन के स्थापना हेतु GAIL द्वारा भूमि की मांग की गई है। सम्यक विचारोपरांत मुख्य सचिव के द्वारा निर्देश दिया गया है कि GAIL को 1.5 एकड़ भूमि भुगतान के आधार पर उपलब्ध कराने हेतु विधिवत कार्रवाई की जाय।

3. परिवहन निगम के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया है कि सुलतान पैलेस एवं बांकीपुर बस स्टैंड की भूमि का प्रचलित बाजार दर के अनुसार मूल्यांकन किये जाने की आवश्यकता है ताकि इसके आधार पर दी जानेवाली भूमि का सही मुआवजा मिल सके। 2016–17 तक निगम की देयता की मूल राशि पूंजी अंशदान के रूप में 74.76 एवं ऋण के रूप में 873.37 कुल 948.13 करोड़ रुपये की है एवं ब्याज की राशि क्रमशः 246.59 एवं 768.82 जोड़े जाने पर कुल देयता 1963. 54 करोड़ रूपये की है। वर्ष–1986–87 से 1998–99 तक निगम को सरकार से 193.82 करोड़ रूपये अनुदान के रूप में प्राप्त है। किन्तु 1998–99 के बाद कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि फुलवारीशरीफ परिसर में निगम मुख्यालय, बस डिपो, केन्द्रीय कर्मशाला, केन्द्रीय

भंडार आदि को सरकारी निधि से विकसित किये जाने हेतु सैद्धांतिक रूप से वे सहमत है। भूमि के हस्तांतरण के एवज में निगम की देयता एक मुश्त माफ किये जाने एवं निगमकर्मियों को पंचम, षष्टम वेतनमान एवं सेवानिवृत/मृत कर्मियों की सेवांत लाभ के भुगतान हेतु राशि उपलब्ध कराये जाने के अनुरोध का प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्त विभाग द्वारा समीक्षा कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

4. सचिव परिवहन, विभाग द्वारा बताया गया कि बांकीपुर बस डिपो की भूमि सरकार को हस्तांतरित किये जाने के कारण 500 से अधिक निगम की बसों के संचालन हेतु निर्माणाधीन ISBT में डेडिकेट स्थल बस पार्किंग, टिकट बुकिंग, रख–रखाव, मरम्मत संचालन कार्यालय एवं आवश्यक जन सुविधा हेतु आधारभूत संरचना की आवश्यकता होगी। इसके लिए निगम की बसों के Exclusive उपयोग के लिए 1.5 से 2.0 एकड़ भूमि आवंटित किया जाना आवश्यक होगा। इस संबंध में प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा बताया गया कि वर्तमान में BSRTC के लिए अलग से स्थल चिन्हित नहीं हैं अपितु अलग से Layout Plan बना हुआ है। मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि निगम के लिए ISBT की भूमि पर ही अलग से स्थल पर बसों के संचालन एवं आधारभूत संरचना उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होता है जिसके लिए नगर विकास विभाग एवं BUIDCO BSRTC के प्रशासक एवं संबंधित पदाधिकारियों के साथ स्थल भ्रमण कर आवश्यक संसाधन हेतु चिन्हित कर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को उपलब्ध कराये।

5. सचिव, परिवहन विभाग द्वारा बताया गया फुलवारीशरीफ परिसर में संरचनाओं के विकसित करने हेतु भवन निर्माण विभाग के Architect/Consultant की आवश्यकता होगी। इस संबंध में भवन निर्माण विभाग से अनुरोध भी किया गया है। अपर सचिव, भवन निर्माण द्वारा बताया गया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, मुख्य सचिव द्वारा भवन निर्माण विभाग को फुलवारी कर्मशाल को चिन्हित कर आवश्यक अधोसंरचना हेतु प्राक्कलन व डिजाइन बनाने का निर्देश दिया गया।

16/9/18

मुख्य सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक संख्या– 2639 **पटना, दिनांक–** 17/9/18

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल/सचिव, पर्यटन विभाग/प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम/राज्य परिवहन आयुक्त/समाहर्ता/महाप्रबंधक, बुडको/नगर आयुक्त, नगर निगम/प्रशासन मुख्य, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/9/18

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।